|| कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज0) ||

कमांक/स्था/2021/15928

दिनांक : 18 मई, 2021

: : कार्यालय–आदेश : :

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा वर्ष 2021 में कोविड–19 महामारी के संक्रमण के चलते, समय–समय पर जारी परिपत्रों तथा इनमें दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों/विशिष्ठ न्यायालयों/अधिकरणों में प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले उक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा भी अलवर न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों/विशिष्ठ न्यायालयों/अधिकरणों में न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी के सम्बन्ध में आदेश भी जारी किये जा रहे हैं।

परन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि इस कार्यालय द्वारा अलवर न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों/विशिष्ठ न्यायालयों/अधिकरणों के न्यायिक अधिकारियों की नियत की जा रही ड्यूटी अधिकारियों के समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र कमांक/05/पी0आई0/2021 दिनांक 19.04.2021 में उल्लेखित तथा प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों यथा जमानत, विशिष्ठ अधिनियमों में जमानत संबंधी अपील, सजा–स्थगन प्रार्थना–पत्र, अन्तरिम/निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना–पत्र, सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र, अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रकिया संहिता, मृत्युकालिक कथन इत्यादि तथा अन्य ऐसे प्रकरण जिन्हें न्यायालय अत्यावश्यक समझे, का स्वयं ड्यूटी अधिकारियों के द्वारा यथासमय, त्वरित निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

इनके द्वारा ऐसे प्रकरणों/प्रार्थना–पत्रों में या तो बहस की सुनवाई हेतु अथवा बहस सुनने के उपरान्त, आदेश हेतु आगामी लम्बी पेशियॉ, नियत की जाकर इन्हें लम्बित रखा जा रहा है जिससे अत्यावश्यक श्रेणी के इन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है तथा विधि अनुकूल भी नहीं है।

अतः अलवर न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों/विशिष्ठ न्यायालयों/अधिकरणों के समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 महामारी के संक्रमण के चलते माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों व इनमें दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा नियत की गई ड्यूटी दिवस को उनके समक्ष उक्तानुसार पेश होने वाले सभी अत्यावश्यक प्रकरणों में अनावश्यक अथवा लम्बी तारीख पेशियॉ नियत नहीं की जावें तथा इनका यथासंभव उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में, विधि अनुसार त्वरित निस्तारण किया जावे ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित हो सके ।

18/5/21

(योगेन्द्र कुमार पुरोहित)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर (राज0)

कमांक/स्था/2021/15929–16024

दिनांक : 18 मई, 2021

प्रतिलिपि :–

01. समस्त पीठासीन अधिकारीगण, अलवर न्यायक्षेत्र को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।
02. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अलवर न्यायक्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित है।
03. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर को जिला न्यायालय, अलवर की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं तदनुसार सभी सम्बन्धित को मेल करने हेतु

18/5/21

(योगेन्द्र कुमार पुरोहित)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर (राज0)